



# Rajasthan State Mines & Minerals Limited

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001

Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur, CIN-U14109RJ1949SGC000505

Phone : 0294-2428763/64/65/66/67, Fax : 0294-2428770/2428739

e-mail : [info.rsmml@rajasthan.gov.in](mailto:info.rsmml@rajasthan.gov.in), Website: [www.rsmml.com](http://www.rsmml.com)

क्रमांक:- आरएसएमएमएल/सीओ/पर्स/6(15)/2015- 776

दिनांक:-

## परिपत्र

विषय:- आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2021/02463, जयपुर दिनांक 26.12.2023 के अनुसार आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण दिनांक 29 फरवरी 2024 तक भरे जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक आरएसएमएम/सीओ/पर्स/6(15)/2015/639 दिनांक 08.02.2024 का जारी कर अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉगइन कर ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक भरने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2021-03386 जयपुर दिनांक 15.03.2024 जारी कर उक्त अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि दिनांक 31 मार्च 2024 बढ़ाई गई है।

अतः आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.02.2024 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपना अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा है, वे अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं समय सीमा में पूर्ति करें।

इसके पश्चात भी यदि आरएसएमएमएल का कोई कर्मचारी/अधिकारी अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरता है जिससे पदोन्नति/वेतन वृद्धि एवं अन्य किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वित्तीय सलाहकार, आरएसएमएमएल, सीओ, उदयपुर।
3. समस्त समूह महाप्रबन्धक/प्रमुख एवं प्रभारी, एसबीयू-पीसी रॉक फॉस्फेट/ लाईमस्टोन/लिग्नाइट/जिप्सम एवं समस्त विभागाध्यक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर/दिल्ली/कोलकता कार्यालय को निर्देशानुसार भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करते हुये इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
4. श्री नीरज श्रीमाली, उप महाप्रबन्धक (आई.टी.), सीओ।
5. संबंधित पत्रावली/गार्ड पत्रावली/संबंधित नोटिस बोर्ड।

RajKaj Ref  
6265294



Signature valid

उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक)  
Digitally signed by Govind Singh  
Ranawat

Designation : Executive Director  
Date: 2024.03.22/16:45:39 IST  
Reason: Approved